	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद **उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान** **जोरहाट-785006, असम** **(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार)** **वेबसाइट: www.neist.res.in**	

विज्ञापन क्रमांक 2/2025-REC

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि:	**03.07.2025 (06:00 बजे अपराह्न)**
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:	**02.08.2025 (11:59 बजे अपराह्न)**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान/ प्रबंधन करियर के लिए एक अनूठा अवसर

उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड और सिद्ध वैज्ञानिक उपलब्धियों वाले, अपेक्षित अनुभव और उच्च स्तर की प्रेरणा वाले उत्साही, युवा भारतीय शोधकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वैज्ञानिकों के निम्नलिखित पदों की रिक्तियों को भरने के लिए अनुसंधान / विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन को करियर के रूप में अपनाने की इच्छा रखते हों।

पद का नाम	**पदों की संख्या एवं आरक्षण**	**वेतन स्तर (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार)**	**कुल परिलब्धियां (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार)**	**ऊपरी आयु सीमा (विज्ञापन में उल्लिखित ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार)**
वैज्ञानिक	कुल पदों की संख्या: 09 UR-03 EWS -02 OBC(NCL)-03 ST-01 [उपर्युक्त 09 पदों में से दो पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित हैं: LV, D और HH के लिए उपयुक्त]	स्तर 11	रु. 124055/-* लगभग (मूल वेतन) DA, HRA, TA आदि सहित)	32** वर्ष

*कुल परिलब्धियों का तात्पर्य Z श्रेणी शहर में मूल वेतन, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA) आदि सहित वेतन स्तर के न्यूनतम पर अनुमानित कुल परिलब्धियों से है।

**कृपया आयु सीमा एवं छूट कॉलम के अंतर्गत आयु छूट देखें।

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर : UR - अनारक्षित, ST - अनुसूचित जनजाति, OBC(NCL) - अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)।

<u>विज्ञापित पदों का विवरण:</u>

पद, पोस्ट कोड और श्रेणी #	आवश्यक योग्यता	वांछनीय योग्यता और/या वांछनीय अनुभव	कार्य अपेक्षाएँ / विनिर्देश
वैज्ञानिक पोस्ट कोड: S-01 पदों की संख्या: 01 (एक) श्रेणी: OBC(NCL)	भूभौतिकी के क्षेत्र में PhD. (प्रस्तुत) या समकक्ष।	भूभौतिकीय विधियों, विशेषकर अन्वेषण और कम्प्यूटेशनल भूभौतिकी में अनुभव। SCI पत्रिकाओं में शोध प्रकाशनों के माध्यम से इस क्षेत्र में सिद्ध उत्कृष्टता।	भूभौतिकी/भूगतिकी/भूभौतिकीय अन्वेषण/भूजल के क्षेत्र में कार्य करना।
वैज्ञानिक पोस्ट कोड: S-02 पदों की संख्या: 01 (एक) श्रेणी: UR	भूविज्ञान/अनुप्रयुक्त भूविज्ञान/भूविज्ञान/पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में PhD. (प्रस्तुत) या समकक्ष।	भू-स्थानिक डेटा प्रसंस्करण और विश्लेषण में दक्षता के साथ भूगर्भीय संरचना और टेक्टोनिक्स**/**नव-टेक्टोनिक्स के क्षेत्र में अनुभव। भूगर्भीय क्षेत्र अध्ययन की स्वतंत्र रूप से योजना बनाने और संचालन करने की क्षमता। SCI पत्रिकाओं में शोध प्रकाशनों के माध्यम से इस क्षेत्र में सिद्ध उत्कृष्टता।	भूविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करना, विशेष रूप से भूविज्ञान/ टेक्टोनिक्स/ जल विज्ञान/ भू-पर्यावरण के क्षेत्र में। संबंधित क्षेत्रों में क्षेत्र अध्ययन।
वैज्ञानिक पोस्ट कोड: S-03 पदों की संख्या: 01 (एक) श्रेणी: ST	रसायन विज्ञान/ रासायनिकी विज्ञान/ पदार्थ विज्ञान/ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में PhD. (प्रस्तुत) या समकक्ष।	इलेक्ट्रोलाइजर , ईंधन सेल, ऊर्जा उपकरणों और लक्षण वर्णन तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के क्षेत्र में अनुभव । SCI पत्रिकाओं और/या पेटेंट में शोध प्रकाशनों के माध्यम से इस क्षेत्र में सिद्ध उत्कृष्टता।	हाइड्रोजन उत्पादन और ईंधन कोशिकाओं के व्यापक क्षेत्र में काम करना।

पद, पोस्ट कोड और श्रेणी #	आवश्यक योग्यता	वांछनीय योग्यता और/या वांछनीय अनुभव	कार्य अपेक्षाएँ / विनिर्देश
वैज्ञानिक पोस्ट कोड: S-04 पदों की संख्या: 01 (एक) श्रेणी: OBC(NCL)	पादप जैव प्रौद्योगिकी/ पादप विज्ञान में Ph.D. (प्रस्तुत) या समकक्ष ।	पादप ऊतक संवर्धन तकनीक और स्टेराइल वातावरण बनाए रखने का अनुभव। आणविक जीव विज्ञान तकनीकों में अनुभव। SCI पत्रिकाओं में शोध प्रकाशनों के माध्यम से इस क्षेत्र में सिद्ध उत्कृष्टता।	अनुसंधान, कृषि या चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए विनियामक अनुपालन के साथ-साथ पौधों के सूक्ष्मप्रवर्धन , इन विट्रो पादप ऊतक संवर्धन पुनर्जनन, स्टेराइल तकनीक, रोग प्रतिरोधक अनुसंधान, डेटा संग्रहण एवं विश्लेषण आदि क्षेत्रों में कार्य करना।
वैज्ञानिक पोस्ट कोड: S-05 पदों की संख्या: 02(दो) श्रेणी: 01 EWS 01 OBC(NCL)	कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग / कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना और संचार प्रौद्योगिकी / कृत्रिम बुद्धिमत्ता / डेटा विज्ञान में M.E./M.Tech. या PhD(प्रस्तुत) या समकक्ष ।	कृत्रिम बुद्धिमत्ता(AI), मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का प्रयोग कर प्राकृतिक विज्ञान /सॉफ्टवेयर और पुस्तकालयों के विकास में अनुभव/ कृत्रिम बुद्धिमत्ता(AI) और डेटा विज्ञान के अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रों में उपकरणों और तकनीकों में विशेषज्ञता। SCI पत्रिकाओं में प्रकाशनों के माध्यम से सिद्ध उत्कृष्टता।	सीएसआईआर-एनईआईएसटी के कार्य हित के वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के विविध क्षेत्रों में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का उपयोग करके पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने जैसे क्षेत्रों में काम करना, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्र शामिल हैं।
वैज्ञानिक पोस्ट कोड: S-06 पदों की संख्या: 01 (एक) श्रेणी: EWS	रासायनिकी विज्ञान/ इंजीनियरिंग में PhD. (प्रस्तुत) या समकक्ष ।	द्रव प्रवाह, द्रव्यमान स्थानांतरण और प्रदर्शन विश्लेषण को समझने के लिए CFD मॉडलिंग और सिमुलेशन तकनीकों में अनुभव। पृथक्करण तंत्र और अंतःक्रिया अध्ययन पर ज्ञान।	द्रव गतिकी का विश्लेषण करने और डिजाइनों को अनुकूलित करने, औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए मॉडल विकसित करने और परिष्कृत करने, दक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के साथ-साथ सिस्टम प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और सुधार का सुझाव देने के

पद, पोस्ट कोड और श्रेणी #	आवश्यक योग्यता	वांछनीय योग्यता और/या वांछनीय अनुभव	कार्य अपेक्षाएँ / विनिर्देश
		प्रक्रिया मॉडलिंग में अनुभव।	लिए एवं CFD उपकरणों को संभालने के लिए, अभिकलनात्मक सिमुलेशन के क्षेत्र में कार्य करना अपेक्षित है।
वैज्ञानिक पोस्ट कोड: S-07 पदों की संख्या: 01 (एक) वर्ग: UR	जल संसाधन इंजीनियरिंग और प्रबंधन में M.E./M.Tech. या नदी इंजीनियरिंग और नदी तट कटाव नियंत्रण (मॉडलिंग के साथ) / बाढ़ मैदान योजना और प्रबंधन (मॉडलिंग के साथ)/ शहरी बाढ़ और प्रबंधन (मॉडलिंग के साथ)/जल विज्ञान मॉडलिंग में Ph.D. (प्रस्तुत) या समकक्ष।	सिविल इंजीनियरिंग में B.E./B.Tech. संबंधित विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में अनुभव।	जल विद्युत संयंत्र संरचना, कटाव प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन और जल विज्ञान मॉडल के विकास के क्षेत्र में कार्य करना।
वैज्ञानिक पोस्ट कोड: S-08 पदों की संख्या: 01 (एक) श्रेणी: UR	मैकेनिकल इंजीनियरिंग में M.E./M.Tech. या समकक्ष के साथ थर्मल इंजीनियरिंग या कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स या मैकेनिकल डिजाइन या कम्प्यूटेशनल मैकेनिक्स या मेकाट्रोनिक्स में विशेषज्ञता ।	मैकेनिकल डिजाइन और सिमुलेशन, CFD, ऊष्मा और द्रव्यमान स्थानांतरण, मेकाट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का अनुभव।	सिमुलेशन उपकरण और CAD सॉफ्टवेयर का उपयोग करके यांत्रिक प्रणालियों के निर्माण और सत्यापन के क्षेत्र में कार्य करना; इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजन या ऊर्जा प्रणालियों के लिए थर्मल मॉडलिंग और थर्मल प्रबंधन प्रणाली।

उपरोक्त 09 पदों में से दो पद PwBD के लिए आरक्षित हैं जो श्रेणी **(क)** (LV) और श्रेणी **(ख)** (D, HH) के लिए उपयुक्त हैं

प्रयुक्त श्रेणी संक्षिप्ताक्षर: LV= निम्न दृष्टि, D= बधिर, HH= श्रवण शक्ति में ह्रास

सामान्य जानकारी एवं शर्तें

1. परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ:

a. इन पदों पर सामान्य भत्ते मिलते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA) आदि, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य है और जैसा कि सीएसआईआर कर्मचारियों को पोस्टिंग के स्थान पर लागू किया जाता है। परिषद के कर्मचारी भी सीएसआईआर आवास आवंटन नियमों के अनुसार आवास के हकदार हैं, जो उपलब्धता के अधीन है। यदि परिषद या सरकारी आवास का उपयोग किया जाता है, तो HRA प्रदान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए दर्शाई गई परिलब्धियों के अतिरिक्त, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और बच्चों की शिक्षा भत्ते आदि जैसे लाभ भी सीएसआईआर/भारत सरकार के नियमों के अनुसार उपलब्ध हैं, जो परिषद कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

b. परिषद के कर्मचारियों पर सीएसआईआर द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अपनाए गए परिभाषित अंशदान के आधार पर 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' या विद्यमान पेंशन प्रणाली लागु होगी।

c. सीएसआईआर, समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार, वैज्ञानिकों के लिए मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत योग्य उम्मीदवारों को करियर में उन्नति के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

d. योग्य व्यक्तियों को सीएसआईआर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए विचार किया जा सकता है।

e. परिषद के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए मूल और अनुपूरक नियम और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अन्य नियम और आदेश परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

f. सभी पदों पर अखिल भारतीय सेवा दायित्व (AISL) लागू होगा, अर्थात चयनित होने पर उम्मीदवार को देश में कहीं भी सेवा करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

2. अन्य शर्तें:

a. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

b. सभी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक पद की आवश्यकताओं और विज्ञापन में निर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनके पास उस पद के लिए आवश्यक योग्यता/अनुभव है जिसके लिए वे अपना आवेदन जमा कर रहे हैं। पात्रता के बारे में पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

c. निर्धारित आवश्यक योग्यताएं/अनुभव न्यूनतम हैं और संबंधित पोस्ट कोड के सामने उल्लिखित क्षेत्र में होने चाहिए। निर्धारित आवश्यक योग्यताएं/अनुभव रखने मात्र से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के हकदार नहीं हैं। साक्षात्कार के

लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी। इसलिए आवेदकों को अपने आवेदन में निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जो उचित दस्तावेजों के समर्थन में हो। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जानकारी पूर्ण और सटीक है। पीएचडी (जमा) के साथ पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए थीसिस जमा करने की तारीख के साथ वैध दस्तावेजी प्रमाण शामिल करें। पीएचडी/मास्टर्स डिग्री की समाप्ति को अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख/परिणाम की अधिसूचना/अवार्ड तिथि से माना जाएगा। उम्मीदवारों को, जहां भी लागू हो, पीएचडी थीसिस / एम.टेक शोध प्रबंध का एक पृष्ठ सारांश / सार अपलोड करना आवश्यक है।

d. वर्तमान में सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(पीएसयू) आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत आवेदकों को अपने विभाग या कार्यालय को सूचित करना होगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) अपलोड करना होगा (अनुलग्नक – I के अनुसार), अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

e. बिना विधिवत भरे या बिना अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों के अपलोड किए गए आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

f. उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और चयन केवल ऑनलाइन आवेदन में दिए गए दस्तावेजों और सूचनाओं के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है या उसने आवेदन पत्र में गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत की है; चयन के बाद भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और सीएसआईआर ऐसी गलत/गलत जानकारी प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी सटीक और सही है।

g. यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में निर्दिष्ट योग्यता के बराबर योग्यता का दावा करता है, तो उसे एक आदेश/अधिसूचना या पत्र प्रदान करना होगा जिसमें उस प्राधिकारी (संख्या और दिनांक सहित) का उल्लेख हो जो इस समतुल्यता को मान्यता देता है। ऐसे दस्तावेज प्रदान न करने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। योग्यता की समतुल्यता और विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता के संबंध में सीएसआईआर के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

h. किसी विषय/कार्य क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां भी निर्धारित हो, न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि के बाद गिनी जाएगी।

i. यदि कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो आवेदन के साथ हिंदी या अंग्रेजी में स्व-सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

j. ऊपरी आयु सीमा, योग्यता और/या अनुभव निर्धारित करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी।

The Innovation Engine of India

k. भारत सरकार के निर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयु सीमा में छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना लागू होगी कि पद उनके लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो।

l. यदि कोई उम्मीदवार विदेश में रह रहा है, तो वह ऑनलाइन साक्षात्कार में शामिल होने का अनुरोध कर सकता है या चयन समिति द्वारा अपनी अनुपस्थिति में भी उम्मीदवारी पर विचार किये जाने का अनुरोध कर सकता है। यह अनुरोध लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि, इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

m. केवल शॉर्टलिस्ट किए गए और साक्षात्कार के लिए बुलाए गए बाहरी उम्मीदवारों को ही यात्रा करने के वास्तविक स्थान से या उनके निवास के सामान्य स्थान से जो भी साक्षात्कार के स्थान के करीब हो, आने-जाने के लिए द्वितीय श्रेणी के रेल किराए की प्रतिपूर्ति मिल सकती है, बशर्ते कि वे नियमों के अनुसार रेल टिकट/रेल टिकट नंबर या भारत के भीतर की गई यात्रा का कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करें। रेल द्वारा न जुड़े स्टेशनों के बीच सड़क यात्रा के लिए, इस विषय पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, वास्तविक बस किराया या सबसे कम दर पर सड़क मील, दस्तावेजी प्रमाण (बस टिकट) प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

n. आवेदन में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों के बीच कोई भी विसंगति होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जब तक कि वैध दस्तावेजों/शपथपत्र द्वारा समर्थित न हो। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार को यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति भी नहीं मिलेगी।

o. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका और परीक्षा/साक्षात्कार के संचालन से संबंधित सभी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। उम्मीदवार की ओर से किसी भी व्यक्ति या एजेंसी से इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

p. किसी भी रूप में प्रचार करना और/या किसी भी प्रकार का राजनीतिक या अन्य प्रभाव डालना पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

q. प्रत्येक श्रेणी/पद के लिए दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा चयन के समय इसमें परिवर्तन हो सकता है।

r. ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरी गई जन्मतिथि और मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या समकक्ष मार्कशीट/प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि को आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा और बाद में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मार्कशीट में जन्मतिथि उपलब्ध नहीं है, तो जन्मतिथि दर्शाने वाले स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा।

s. नियुक्ति प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा यदि आवश्यक हो तो किसी या सभी पदों को न भरने का निर्णय भी ले सकता है।

t. साक्षात्कार की तिथि, स्क्रीनिंग/चयन समितियों की सिफारिशें, उपयोग किए गए मानदंड, तथा इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी अन्य अपडेट, नोटिस, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र केवल सीएसआईआर-उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (CSIR-NEIST) की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। उम्मीदवारों को कोई व्यक्तिगत अधिसूचना नहीं भेजी जाएगी,

The Innovation Engine of India

इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से सीएसआईआर-उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (CSIR-NEIST) की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

u. चयनित उम्मीदवार पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक निश्चित अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद, उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार स्थायीकरण के लिए विचार किया जाएगा।

v. जहां पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में एक विशिष्ट क्षेत्र या अनुशासन की आवश्यकता होती है और यदि यह उम्मीदवार की अंकतालिका और/या संबंधित विश्वविद्यालय से डिग्री प्रमाण पत्र से स्पष्ट नहीं होता है, तो उम्मीदवारों को अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा, ऐसे दावों की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में स्क्रीनिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

w. अभ्यर्थियों को यह बताना चाहिए कि क्या उनका कोई रक्त/निकट संबंधी (सरकारी कर्मचारी के संबंध में पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, माता-पिता, भाई या बहन या उनमें से किसी से रक्त या विवाह से संबंधित कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे वे सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हों या नहीं) सीएसआईआर या सीएसआईआर की किसी अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थान/इकाई में कार्यरत है।

x. इस विज्ञापन के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार की असंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

y. **किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।** ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट पर उल्लिखित हेल्पडेस्क संपर्क केवल आवेदन पत्र के ऑनलाइन जमा करने से संबंधित परिचालन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए है।

3. <u>आयु सीमा एवं छूट:</u>

a. अनुसूचित जाति [SC] / अनुसूचित जनजाति [ST] के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग [OBC (NCL)] के लिए 03 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो कि लागू सरकारी आदेशों के अनुसार, केवल उन मामलों के संबंध में होगी जहां पद/ रिक्तियां संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं।

b. SC/ST/OBC(NCL) उम्मीदवार जो अनारक्षित (UR) पदों अर्थात जो पद SC/ST/OBC(NCL) के लिए आरक्षित नहीं हैं, के लिए आवेदन करते हैं, वे आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होंगे और उनके चयन के संबंध में उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के बराबर माना जाएगा [हालांकि, ऐसे मामलों में SC और ST उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क में छूट लागू है।

c. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ अपने प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए और ऐसे प्रमाण पत्र अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जैसे कि भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट एसडीओ, जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर।

d. भारत सरकार (GoI) के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक – III & IV) में होने चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग(गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण

पत्र को भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर-क्रीमी लेयर मानदंडों को भी पूरा करना चाहिए, न कि उन राज्यों में नियुक्ति के लिए जो उन राज्य सरकार के आदेशों का संदर्भ देते हैं।

e. OBC उम्मीदवारों के लिए पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध जातियों के आधार पर होगी, और उनकी उपजाति इस सूची में प्रविष्टियों से मेल खानी चाहिए; अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत नहीं मानी जाएगी और अन्यथा पात्र होने पर उन्हें अनारक्षित (UR) माना जाएगा। "क्रीमी लेयर" में OBC उम्मीदवार OBC श्रेणी के लिए उपलब्ध रियायतों के हकदार नहीं हैं और उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में दर्शानी होगी।

f. OBC (गैर-क्रीमी लेयर) को अपने दावे के समर्थन में एक अतिरिक्त 'घोषणा पत्र' (अनुलग्नक – V) प्रस्तुत करना आवश्यक है कि वे तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर OBC (क्रीमी लेयर) श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।

g. SC/ST/OBC(NCL)/PwBD/EWS आदि उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में मूल प्रमाण पत्र, जब भी मांगा जाए, प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों । उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपेक्षित प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। हालाँकि, विशिष्ट श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार के दावे को इस विषय पर मौजूदा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

h. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और आदेशों के अनुसार परिषद/सरकारी/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को आयु सीमा में 5(पाँच) वर्ष तक की छूट दी जाएगी [इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम 10 वर्ष की छूट मिलेगी जिसमें उनके संबंधित श्रेणियों के लिए 5 वर्ष की छूट शामिल है। इसी प्रकार, ओबीसी उम्मीदवारों को अधिकतम 8 वर्ष तक की छूट मिलेगी जिसमें ओबीसी श्रेणी के लिए 3 वर्ष की छूट शामिल है]। यह छूट ऐसे उम्मीदवारों को स्वीकार्य होगी जो ऐसे पदों पर काम कर रहे हैं जो समान श्रेणी या संबद्ध संवर्ग में हैं और जहाँ यह संबंध स्थापित किया जा सकता है कि उस विशेष पद पर पहले से की गई सेवा उस पद के कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए उपयोगी होगी जिस पर भर्ती की जा रही है। इस संबंध में निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी के पास रहेगा।

i. जो अभ्यर्थी स्वयं को परिषद/सरकारी/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करता है तथा इस अनुच्छेद के अंतर्गत आयु में छूट चाहता है, उसे अपने नियोक्ता द्वारा कार्यालय के लेटर हेड पर विज्ञापन की तिथि के बाद जारी किया गया प्रमाण पत्र (अनुलग्नक - II) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह बताया गया हो कि वह नियमित रूप से नियुक्त है तथा आकस्मिक/तदर्थ/दैनिक वेतन/प्रति घंटा वेतन/अनुबंध आधार पर कर्मचारी नहीं है।

j. विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाओं, जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, के लिए ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष की छूट दी गई है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता या भर्ती की विधि में कोई छूट नहीं दी गई है (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में 40 वर्ष तक)। इस उप-अनुच्छेद के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे:

   i) विधवा के मामले में, उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा यह शपथ पत्र कि उसने उसके बाद से पुनर्विवाह नहीं किया है।

ii) तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से न्यायिक रूप से अलग हो चुकी महिलाओं के मामले में, तलाक या न्यायिक अलगाव के तथ्य को साबित करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में एक शपथ पत्र के साथ, तथा यह भी कि उन्होंने उसके बाद से पुनर्विवाह नहीं किया है।

k. निम्नलिखित मानक विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 (दस) वर्ष की छूट दी जाएगी [इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम 15 वर्ष की छूट मिलेगी जिसमें उनके संबंधित श्रेणियों के लिए 5 वर्ष की छूट शामिल है। इसी प्रकार, ओबीसी उम्मीदवारों को अधिकतम 13 वर्ष तक की छूट मिलेगी जिसमें ओबीसी श्रेणी के लिए 3 वर्ष की छूट शामिल है]: (i) श्रेणी क - अंधापन और निम्न दृष्टि; (ii) श्रेणी ख - बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास; (iii) श्रेणी ग - मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग ठीक हो जाना, बौनापन, एसिड हमले के पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित चलने-फिरने में अक्षमता; (iv) श्रेणी घ - ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी; (v) श्रेणी ङ - खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बधिरता/अंधेपन सहित बहुविध विकलांगताएं।

l. विकलांग व्यक्तियों को आयु में छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना स्वीकार्य होगी कि पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद विकलांगता की प्रासंगिक श्रेणी के लिए उपयुक्त हो।

नोट: उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं की परिभाषा **"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016"** के अनुसार होगी।

इस उप-अनुच्छेद के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले वे व्यक्ति ही, पदों में शर्तों/आरक्षण में छूट के लिए पात्र होंगे जो प्रासंगिक बेंचमार्क विकलांगता के 40% से कम नहीं हैं। बेंचमार्क विकलांगता वाले वे व्यक्ति (PwBD) जिन्होंने छूट का लाभ उठाया है, उन्हें दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 दिनांक 15.06.2017 के अध्याय 7 के तहत नियम 18 (1) के फॉर्म वी, VI और VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (निरस्त) के तहत जारी विकलांगता के मौजूदा प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध बने रहेंगे। किसी भी मामले में, इन उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रत्येक व्यक्तिगत ग्रुप 'ए' पदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मेडिकल फिटनेस के मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने के अधीन होगी, जिन्हें चयन द्वारा सीधी भर्ती से भरा जाएगा। उनके द्वारा कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है।

कृपया ध्यान दें, दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन में अपनी जाति/समुदाय जैसे कि SC/ST/OBC (NCL)/GENERAL/EWS का उल्लेख करना चाहिए और संबंधित जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यह एक क्षैतिज आरक्षण है। दिव्यांग श्रेणी के तहत एक उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए तभी योग्य माना जाएगा जब वह (नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) आवेदन किए गए पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करता पाया जाता है।

m. EWS श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ DoPT के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36039/1/2019-Estt.(Res.) तथा इस संबंध में भारत सरकार के किसी अन्य लागू निर्देश के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

के समय विनियमित किया जाएगा। इसके अलावा, EWS उम्मीदवार द्वारा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की निर्णायक/कट-ऑफ तिथि पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। निर्णायक/कट-ऑफ तिथि के बाद तथा बाद के वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। (अनुलग्नक – V)

n. इसके अलावा, परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अगस्त, 2022 है, तो परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 होगा और प्रमाण पत्र 2022-2023 के लिए वैध होगा।

o. अन्य कोई भी आयु छूट भारत सरकार/सीएसआईआर भर्ती नियमों के अनुसार लागू होगी।

p. सीएसआईआर के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार महानिदेशक, सीएसआईआर के पूर्व अनुमोदन से असाधारण मेधावी उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित सीमा, शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव के अतिरिक्त आयु में छूट पर विचार किया जा सकता है।

4. <u>चयन का तरीका:</u>

a. केवल निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी करने से ही उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी:

- उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर।
- विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम वांछनीय योग्यता और/या संबंधित क्षेत्र में वांछनीय अनुभव या उससे अधिक के आधार पर।
- दाखिल पेटेंट, SCI/ पीयर रिव्यूउड पत्रिकाओं में प्रकाशन आदि के आधार पर।
- वैज्ञानिक शोध पत्रिका (जर्नल) प्रकाशनों की गुणवत्ता, संख्या और लेखकत्व (अर्थात प्रथम लेखक या सह-लेखक, संवादकर्ता लेखक आदि) के आधार पर।
- शोध प्रकाशन/PhD थीसिस के विषय से निर्धारित अनुसंधान विशेषज्ञता/PhD विषय के आधार पर
- लिखित परीक्षा/सेमिनार के आधार पर।
- आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद अनुभव की गणना करके।
- उन मामलों में भी अनुभव का प्रयोग किया जाएगा जहां अनिवार्य योग्यता (EQ) या वांछनीय योग्यता (DQ) के रूप में कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।
- स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य कार्यप्रणाली।

(अतः अभ्यर्थी को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अपनी सभी योग्यताओं और अनुभव का उल्लेख दस्तावेजों सहित करना चाहिए) ।

b. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पाद विकास/प्रौद्योगिकी नवाचार/ट्रांसलेशनल अनुसंधान/अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी आदि में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उचित महत्व दिया जाएगा। तदनुसार, ऐसी उपलब्धियों का दावा करने वाले उम्मीदवारों को, यदि कोई हो, तो उन्हें सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में उनका उल्लेख करना होगा।

5. आवेदन कैसे करें:

a. योग्य उम्मीदवारों को CSIR-NEIST वेबसाइट: https://www.neist.res.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

b. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए कृपया उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध "ऑनलाइन आवेदन कैसे करें" निर्देश, "शुल्क भुगतान प्रक्रिया" और "आवेदन प्रतिकृति" देखें।

c. आवेदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर तीन अलग-अलग चरणों में प्रस्तुत किया जाना है, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

   i) पंजीकरण [ऑनलाइन]

   ii) ऑनलाइन आवेदन जमा करना।

   iii) शुल्क जमा करना [ऑनलाइन, यदि लागू हो]

d. यदि अभ्यर्थी के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक नई वैध ईमेल आईडी बनानी चाहिए तथा पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसे सक्रिय रखना चाहिए।

e. आवेदन के उपर्युक्त चरणों की समय-सीमाएं निम्नानुसार हैं: -

   ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण/शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि: 03.07.2025 (06:00 बजे अपराह्न)

   ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 02.08.2025 (11:59 बजे अपराह्न)

f. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए, उम्मीदवारों को केवल **STATE BANK COLLECT** के माध्यम से 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) का गैर-वापसी योग्य शुल्क देना होगा। शुल्क के सफल भुगतान के बाद ट्रांजेक्शन आईडी/UTR नंबर ऑनलाइन आवेदन में उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ई-रसीद (**SB Collect** रसीद) डाउनलोड करें और भविष्य के पत्राचार के लिए इसे सुरक्षित रखें। निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के खिलाफ कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

g. SC/ST/PwBD/Women के लिए प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करने के अधीन कोई **शुल्क देय नहीं है** (सीएसआईआर नीति प्रभाग परिपत्र संख्या 5-1(603)/2018-PD दिनांक 05.11.2024 द्वारा अधिसूचित सीएसआईआर निर्देश के अनुसार)।

h. अभ्यर्थी को अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्कैन किया हुआ रंगीन फोटोग्राफ, हस्ताक्षर (अधिकतम आकार 50 KB) तथा संबंधित प्रमाण पत्र (अधिकतम आकार 1 MB) ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है।

i. जमा किए गए आवेदन वापस नहीं लिए जा सकते, और भुगतान की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, भविष्य की परीक्षाओं या चयनों के लिए फीस को आरक्षित नहीं रखा जा सकता।

j. यदि बोर्ड, विश्वविद्यालय या संस्थान CGPA/SGPA/OGPA/DGPA/CPI ग्रेड आदि प्रदान करता है, तो उम्मीदवार को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा दिए गए फॉर्मूले का उपयोग करके इन्हें प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा जारी रूपांतरण फॉर्मूले की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड

की जानी चाहिए। यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ रूपांतरण फॉर्मूला जमा नहीं किया जाता है, तो आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा।

k. प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए प्रति उम्मीदवार केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार अलग-अलग ईमेल पतों का उपयोग करके एक ही पोस्ट कोड के लिए कई ऑनलाइन आवेदन जमा करता है, तो केवल सबसे हाल ही में पूरा किया गया आवेदन ही माना जाएगा। उम्मीदवारों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन प्रिंट-आउट और भुगतान विवरण की एक प्रति रखनी चाहिए, क्योंकि ये आवेदन की समय सीमा के बाद उपलब्ध नहीं होंगे।

l. एक उम्मीदवार कई पोस्ट कोड के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वे प्रत्येक व्यक्तिगत पोस्ट कोड के लिए सभी पात्रता मानदंड पूरा करते हों। हालाँकि, उम्मीदवार को प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए अलग से अपेक्षित आवेदन शुल्क के साथ एक अलग आवेदन (प्राथमिक/पंजीकरण विवरण को छोड़कर) पूरा करना होगा।

m. उम्मीदवार को अपना नाम, ईमेल पता और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। एक बार आवेदन पत्र पूरा हो जाने के बाद, उम्मीदवार सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन को सत्यापित या संपादित कर सकते हैं कि यह सटीक और पूर्ण है। आवेदन की जानकारी सुनिश्चित करने के बाद, उम्मीदवार को आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक जमा करने के लिए ड्राफ्ट आवेदन पर 'सबमिट' पर क्लिक करना होगा और यदि लागू हो तो भुगतान विवरण अपडेट करना होगा। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, कोई और संशोधन या संशोधन की अनुमति नहीं होगी। भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट रखना महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को जमा करने के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी नहीं भेजनी चाहिए। उनसे उचित समय पर हार्ड कॉपी जमा करने का अनुरोध किया जाएगा।

n. एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद, उसमें परिवर्तन या सुधार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

o. किसी भी फर्जी या मनगढ़ंत आवेदन या पंजीकरण के मामले में, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के नाम या फोटो का दुरुपयोग किया गया हो, अभ्यर्थी और/या साइबर कैफे को उचित कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

p. वर्तमान में CSIR/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(पीएसयू) आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ अपने नियोक्ता से प्राप्त ' **अनापत्ति प्रमाण पत्र** ' (NOC) अपलोड करना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन अधूरा माना जाएगा।

q. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। इस विज्ञापन से संबंधित परिशिष्ट/शुद्धिपत्र और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें: https://www.neist.res.in

r. अभ्यर्थियों को कोई अलग से व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।

s. उम्मीदवारों को अलग से कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। सभी सूचनाएं और संचार उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे।

t. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई कोई भी जानकारी उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगी। यदि बाद में किसी भी चरण में प्रस्तुत की गई जानकारी या विवरण गलत पाया जाता है, तो वे अभियोजन और सिविल परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे।

नोट: आवेदकों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी को आगे की प्रक्रिया के लिए अंतिम माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन नियम और डिजाइन विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यकताओं पर आधारित हैं और इस संबंध में किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और आवेदन पोर्टल पर "निर्देश" अनुभाग का संदर्भ लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि उम्मीदवार विज्ञापन में बताई गई सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। आवेदन जांच के अधीन होगा और बाद के चरणों में अयोग्यता पाए जाने पर उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। आरक्षित पदों के लिए नियुक्तियाँ अनंतिम होंगी, उचित चैनलों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए लंबित होंगी। यदि सत्यापन से पता चलता है कि उम्मीदवार का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) /दिव्यांग स्थिति का दावा गलत है, तो बिना किसी कारण बताए और आगे की कानूनी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना उनका रोजगार तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।

6. <u>ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए:</u>

a. 500/- रुपये के आवेदन शुल्क की ई-रसीद/भुगतान रसीद की डाउनलोड की गई प्रति (जहां लागू हो)।
b. नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ उचित स्थान पर अपलोड किया गया।
c. अभ्यर्थी का हस्ताक्षर उचित स्थान पर अपलोड किया गया।
d. नाम और जन्म तिथि के समर्थन में मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या समकक्ष अंकतालिका/जन्म तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र।
e. उम्मीदवार/माता-पिता (यदि लागू हो) के नाम में परिवर्तन/नाम में विसंगति/नाम में भिन्नता के समर्थन में उपयुक्त प्राधिकारी से राजपत्र अधिसूचना/शपथ पत्र की प्रति।
f. आवश्यक योग्यताओं और किसी उच्चतर योग्यता का समर्थन करने वाले शैक्षिक प्रमाण-पत्रों और/या अंक-पत्रों की प्रतिलिपि।
g. यदि लागू हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी भारत सरकार (GoI) प्रारूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
h. ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों से 'घोषणा पत्र' की प्रतिलिपि, जिसमें आवेदन में उनके दावे का समर्थन किया गया हो कि वे तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर ओबीसी (क्रीमी लेयर) श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।

CSIR The Innovation Engine of India

i. विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाओं के लिए उचित न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रति, तलाक या न्यायिक अलगाव की स्थिति को सत्यापित करने के लिए, यदि लागू हो। इसके अतिरिक्त, एक हलफनामा जो पुष्टि करता है कि ऐसे उम्मीदवार ने दोबारा शादी नहीं की है।

j. आयु में छूट का दावा करने वाले परिषद/सरकारी/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।

k. अनुभव प्रमाण पत्र(ओं) की प्रतिलिपि, यदि कोई हो।

l. सीएसआईआर / सरकारी संगठनों / स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों / विश्वविद्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(पीएसयू) आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) की प्रतिलिपि।

m. एक पृष्ठ का पी.एच.डी. थीसिस/एम.टेक. शोध प्रबंध का सारांश/सार।

n. SCI / पियर-रिव्यूड प्राप्त पत्रिकाओं आदि में शोध प्रकाशनों की सूची, यदि लागू हो।

o. आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो।

नोट 1: अपलोड किए गए दस्तावेज़/प्रमाणपत्र सुपाठ्य होने चाहिए।

नोट 2: आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन अपूर्ण माना जाएगा तथा उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

नोट 3: अभ्यर्थियों को उचित समय पर मूल दस्तावेज तथा उनकी स्व-सत्यापित फोटोप्रतियां लाने के लिए कहा जाएगा।

नोट 4: पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन की विधि, तथा परीक्षा/सेमिनार/साक्षात्कार/टेस्ट के संचालन से संबंधित सभी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।

अस्वीकरण

चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी देने और/या प्रक्रिया का उल्लंघन करने के मामले सामने आने पर उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सीएसआईआर द्वारा दिए गए/दिए जाने वाले स्पष्टीकरण अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

प्रशासन नियंत्रक
सीएसआईआर-एनईआईएसटी
(CSIR-NEIST)

<u>प्रमाणपत्रों के प्रारूप:</u>

1. सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(पीएसयू) आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवार के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र'(NOC) का प्रारूप।
2. आयु में छूट का दावा करने के लिए परिषद/सरकार/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप ।
3. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप ।
4. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र।

CSIR
The Innovation Engine of India

अनुलग्नक-I

अभ्यर्थी के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप

(वर्तमान में सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत)

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र शीर्ष)

क्र..... **दिनांक:** [दिन/माह/वर्ष]

विज्ञापन क्रमांक [विज्ञापन क्रमांक] पर आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम], [पदनाम], इस विभाग/संगठन के स्थायी/नियमित कर्मचारी हैं तथा [कार्यभार ग्रहण दिनांक] से [वर्तमान पद] के पद पर कार्यरत हैं।

इस विभाग/संगठन को विज्ञापन क्रमांक [विज्ञापन क्रमांक] दिनांक [विज्ञापन तिथि] के तहत विज्ञापित पद [पोस्ट कोड/पद] के लिए उनके आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। इस विभाग/संगठन को डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का नाम] के चयन प्रक्रिया में भाग लेने या नए पद पर उपर्युक्त रोजगार के लिए विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] वर्तमान में लागू आचरण नियमों के तहत किसी दंड का सामना नहीं कर रहे हैं और डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] न तो निलंबित हैं, न ही इस प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि तक उनके खिलाफ कोई सतर्कता, अनुशासनात्मक या आपराधिक मामला लंबित है।

यह प्रमाण-पत्र उक्त विज्ञापन पर आवेदन करने के प्रयोजनार्थ आवेदक के अनुरोध पर जारी किया जाता है।

स्थान: .....

[विभाग/संगठन का नाम] के लिए,

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]
[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम]
[जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]
[आधिकारिक मुहर/स्टाम्प]
[संपर्क जानकारी]
[विभाग/संगठन का पता]

CSIR
The Innovation Engine of India

अनुलग्नक - II

आयु में छूट का दावा करने के लिए परिषद/सरकार/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र शीर्ष)

क्र..... **दिनांक:** [दिन/माह/वर्ष]

आयु में छूट का दावा करने या विज्ञापन क्रमांक के विरुद्ध आवेदन करने के लिए प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. /श्री/सुश्री .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... (संस्थान का नाम) के नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी हैं और अवधि(ओं) के दौरान उनके द्वारा किए गए कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

(i) .....
(ii) .....
(iii) .....

प्रमाणित किया जाता है कि:

*(क) डॉ./श्री/सुश्री .....

या

*(ख) डॉ ./श्री/सुश्री दिनांक .....से ..... तक..... (संस्थान का नाम) में .....के पद पर नियमित आधार पर लगातार अस्थायी सेवा में रहे हैं।

** जो लागू न हो उसे काट दें।*

स्थान: .....

[संस्थान का नाम] के लिए,

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]
[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम]
[जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]
[आधिकारिक मुहर/स्टाम्प]

CSIR
The Innovation Engine of India

अनुलग्नक - III

<u>भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*…….
पुत्र/पुत्री*…….गांव/शहर*……..जिला/संभाग*……..रा
ज्य/संघ शासित प्रदेश*……..के ……. जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950
@ संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950
@ संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
@ संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986; अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा संशोधित।]

@ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
@ संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित
@ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
@ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
@ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
@ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
@ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
@ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
@ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
@ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
@ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002
@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@ संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002
@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007

%2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे में प्रवास कर गए हैं,

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती*……पिता/माता
श्री/श्रीमती/कुमारी*……के गांव/कस्बा/क्षेत्र**……..जिला

/मंडल*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....के जो उस जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है, को दिनांक.....को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी*.....और/या* उनका/उनकी* फैमिली सामान्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के .....जिला/मंडल* के गांव/कस्बे*.....में निवास करती है।

हस्ताक्षर.....
**पद का नाम.....।

(कार्यालय की मुहर के साथ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
स्थान:.....
तारीख:.....

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू न हों।
@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।
% जो पैराग्राफ़ लागू न हो उसे हटा दें

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों।
(iv) उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है
(v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

टिप्पणी:

तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

CSIR
The Innovation Engine of India

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____पुत्र/पुत्री _____गांव/कस्बा _____जिला/मंडल में _____ समुदाय से संबंधित हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या _____ दिनांक _____* के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और/या उनका परिवार सामान्यतः _____राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के _____जिले/मंडल में रहता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं। अधिसूचित कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36012/22/93-Estt.(SCT) दिनांक 8.9.1993, कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36033/3/2004-Estt.(Res) दिनांक 9 मार्च, 2004, कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36033/3/2004-Estt.(Res) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36033/1/2013-Estt.(Res) दिनांक 27 मई, 2013**

हस्ताक्षर_____

पदनाम_____ $

दिनांक :

मुहर :

* प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति ओबीसी बताई गई हो।

** समय-समय पर संशोधित।

$ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों के समान होगी।

नोट:- यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

CSIR
The Innovation Engine of India

अनुलग्नक - V

'अन्य पिछड़ा वर्ग' के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणापत्र का प्रारूप
(सामुदायिक प्रमाणपत्र के अतिरिक्त)

मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ निवासी गांव/कस्बा/शहर_____ जिला_____ राज्य_____ एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं _____ समुदाय से हूं, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36102/22/93-Estt.(SCT) दिनांक 8-9-1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-9-1993, कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36033/3/2004-Estt.(Res) दिनांक 9 मार्च, 2004 और कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36033/3/2004-Estt.(Res) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और समय-समय पर संशोधित अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे माता-पिता/अभिभावक की क्रीमी लेयर के लिए स्थिति/वार्षिक आय की शर्त आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित सीमा के भीतर है।

हस्ताक्षर_____

पूरा नाम_____

पता_____

स्थान: _____

दिनांक: _____

CSIR
The Innovation Engine of India

अनुलग्नक - VI

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र

सरकार .....

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाणपत्र क्रमांक ..... **दिनांक: .....**

वर्ष के लिए वैध.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... के स्थायी निवासी हैं। गांव/गली, डाकघर, क्षेत्र ..... पिन कोड ..... जिनका फोटोग्राफ नीचे प्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, क्योंकि उनके/उनकी परिवार* की सकल वार्षिक आय** वित्तीय वर्ष ..... के लिए 8 लाख रुपये (मात्र आठ लाख रुपये) से कम है। उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति*** नहीं है:

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
II. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम.....

पद का नाम.....

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्व-सत्यापित फोटो

CSIR
The Innovation Engine of India

* नोट 1 : इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता- पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

**नोट 2: आय में सभी स्रोत शामिल हैं, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।